Research Guru
Online Journal of Multidisciplinary Subjects (ISSN : 2349-266X)
Volume-13, Issue-4, March-2020
www.researchguru.net

बाजारवादी अर्थव्यवस्था में ग्रामीण महिलाएँ

सोनी कुमारी
शोध–छात्रा, गृह विज्ञान विभाग,जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, बिहार
Email: sonikumariph.d@gmail.com

सारांश

बाजारवादी अर्थव्यवथा में ग्रामीण गरीब महिलाएँ एक ऐसी आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण में रहने को मजबूर है जो उन्हें द्वयम दर्जे का नागरिक बनाए रखता है। आर्थिक संसाधनों के स्वामित्व से विलग, पितृसनात्मक पारिवारिक और सामाजिक परम्पराओं के अन्दर रहने, शिक्षा, स्वास्थ्य पोषक आहार से वंचित महिलाएँ स्वंय के सम्बन्ध में भी निर्णय लेने के अधिकारों से वंचित रह जाती है। काम का अतिशय बोझ तो उन पर है मगर किसी भी स्तर पर उनके कामों की स्वीकृति नहीं है। सरकार की कई योजनाएँ महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही है मगर उनका उचित परिणाम या लाभ मिला ही नहीं। खासकर बिहार जैसे पिछड़ी कृषि वाली अर्थव्यवस्था में महिला सशक्तिकरण की अनिवार्यता तो काफी है मगर यह अत्यधिक पीछे चल रहा है।

प्रस्तुत लेख इसके कारणों, समस्या के स्वरूप, सरकारी योजनाओं की सिद्धांतहीनता आदि का विश्लेषण करने और स्थिति का जायजा लेने का प्रयास किया है।

कुंजी शब्दः **सशक्तिकरण, आधार, संरचना, माल, उत्पादन संबंध**

समस्या का स्वरूप :

आर्थिक सामाजिक अत्थान के लिए आज के विकसित दुनियाँ में महिला उत्थान का महत्व काफी बढ़ गया है। आबादी के करीब आधे भाग का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला जनसंख्या को अलग–थलग करके किसी भी राष्ट्र या समाज का विकास कर पाना कठिन है। महिलाओं के महत्व को आर्थिक–सामाजिक विकास में हिस्सेदारी के महत्व के नकारना आज कठिन है क्योंकि महिलाएँ अपने समय का दो तिहाई हिस्सा काम में लगाती है मगर विश्व की कुल आमदनी में से मात्रा 10वाँ भाग ही पाती है। महिलाओं के लिए भू. एन कमीशन आन स्टेटस ऑफ वीमेन की रिपोर्ट में महिलाओं के महत्व को राष्ट्र निर्माण में स्वीकार करने का अर्थ है कि विकास के कार्यों की उन्मुखता महिला विकास की तरफ जरूर होनी चाहिए। खास कर विहार जैसे पिछड़ी कृषि अर्थव्यवस्था वाले राज्य में, जहाँ आवादी का घनत्व ज्यादा है, अर्थ व्यवस्था पिछड़ी कृषि की है औरत मर्द अनुपात में औरतों की संख्या घटती जा रही है, वेरोजगारी बढ़ रही है आदि ऐसी हालत में महिलाओं के पिछड़ेपन के कारणों को चिन्हित करते हुए जिन कुछ महत्वपूर्ण कारणों का उल्लेख किया गया है जैसे महिलाओं में अशिक्षा गाँवों में बड़े पैमाने पर गरीबी बाल विवाह की परम्परा की मौजूदगी महिलाओं पर पारिवारिक कार्यों का अतिशय बोझ, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकृतिक और मानव संसाधनों का अभाव, महिलाओं के प्रति चली आ रही गलत विचार सामाजिक शोषण कमजोर स्वास्थ्य दहेज प्रथा आदि। देखा जाए तो ये सारे कारण बिहार में अभी भी मजबूती से जड़ जमाये बैठे है और इन्हें समूल नष्ट करने का प्रयास सरकार भी नहीं कर रही है। अगर महिला सशक्तिकरण को बिहार में व्याप्त गरीबी के संदर्भ में देखा जाय और पड़ताल किया जाय कि बिहार की गरीबी महिला उत्थान को रोक रही है। गरीबी की मान के लिए प्लानिंग कमीशन ने 1993–94 और 1999–2000 के लिए लकड़वाला कमिटी के अनुमानों तथा 2004–05 और 2011–12 के लिए तेन्दुलकर कमिटी ने अनुमानों को आधार बनाया था। इन कमिटियों के अनुमानों के आधार पर योजना आयोग ने गरीबी का जो अनुपात बिहार के लिए लगाया था वह नीचे की तालिका में दी गई है। मगर इस गरीबी अनुपात पर विवाद भी बढ़ता रहा है, क्योंकि सेवा क्षेत्र के खर्चों को इनमें शामिल नही किया गया है, मात्र प्रतिदिन एक व्यक्ति द्वारा भोजन में उपलब्ध कैलोरीज को ही आधर माना गया है। नीचे की तालिका के अंक गरीबी के अनुपात को दिखाते हैं–

तालिका 1
बिहार में गरीबी का अनुपात

क्षेत्र		1993–94	1999–2000	2004–05	2011–12	2004–05से 2011–12में कमी
बिहार	ग्रामीण	58.2	44.3	55.7	34.1	21.6
	शहरी	34.5	32.9	43.7	31.2	12.5
	संयुक्त	55.0	42.6	54.4	33.7	20.7
भारत	ग्रामीण	37.3	27.1	41.8	25.7	16.1
	शहरी	32.1	23.6	25.7	13.7	12.0
	संयुक्त	36.0	26.1	37.2	29.9	15.3

श्रोत :योजना आयोग भारत सरकार

उपर की तालिका दिखाती है कि प्रत्येक काल खण्ड में और प्रत्येक क्षेत्र में बिहार में गरीबी का आकड़ा औसत भारतीय आँकडे से ज्यादा रहता आया है। बिहार सरकार अपने आर्थिक सर्वेक्षण में इस नाकारात्मक तथ्य को छुपा लिया है और इसी तथ्य को उभारा है कि 2004–05 से 2011–12 में बिहार में गीरब कम होने का प्रतिशत अखिल भारतीय आँकड़े से ज्यादा रहा है। मगर यह नही दर्शाया है कि किसी भी काल में यह औसत भारतीय आँकड़े के बराबर हुआ हो।

चूंकि महिलाओं को एक समूह के रूप में रखकर उनकी गरीबी का आकलन कभी नहीं किया गया है इस कारण उनसे सम्बधित आँकड़े नही उपलब्ध[2]हैं। मगर बिहार के आर्थिक–सामाजिक परिवेश में गरीबी से महिलाएँ ज्यादा पीड़ित रहती है। यह अवधारणा गलत है कि महिलाओं को सशक्त बना देने से उनकी गरीबी दूर हो जाएगी, बल्कि सत्य यह है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पहले उनकी गरीबी को दूर करना होगा।

इसी तरह शिक्षा की स्थिति भी बिहार में कमजोर है। 2010–11 से 2014–15 तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं का प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्तर के लिए जो नामांकन हुए उनका कंपाउंडेड ऐनुअल ग्रोथ रेट (Compounded Annual Growth Rate)को देखा जाए तब स्थिति का पता चलता है कि बिहार में नामांकन में छात्राओं की संख्या तो है मगर आगे चल कर बीच ही में पढ़ाई छोड़ देने वाले छात्र–छात्राओं की संख्या भी काफी बड़ी है। नीचे के तालिकाएँ इसे दर्शा रही है–

तालिका 2
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्र–छात्राओं का प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्तर के वर्गों में नामांकन का कम्पाउण्डेड ऐनुअल ग्रोथ रेट

(संख्या लाख में)

विद्यार्थी	की किस्म	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	सी. ए. जी. आर
छात्र	संयुक्त	107.41	109.33	111.08	117	118.49	2.7
	एस. सी.	19.05	20.36	19.31	21.4	21.7	3.2
	एस. टी	1.32	1.7	2.14	2.22	2.31	14.9
छात्राएँ	संयुक्त	90.71	97.92	103.79	109.63	110.77	5.3
	एस. सी.	14.95	16.66	17.44	19.85	19.86	7.6
	एस. टी	0.91	1.44	1.79	1.84	1.93	19.1
कुल	संयुक्त	198.14	207.25	214.87	226.62	229.26	3.9
	एस. सी.	34.01	37.02	36.75	41.01	41.56	5.2
	एस. टी	2.25	3.14	3.93	4.08	4.26	16.6

नोट : CAGR = Compounded Annual Growth Rate

श्रोतः शिक्षा विभाग बिहार सरकार

उपर की तलिका अनुसूचित जाती और अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं का प्राइमरी और अपर प्राइमरी वर्ग में 2010–11 से 2014–15 तक का वर्ष बार नामांकन दिखाती है। कुल नामांकन का कम्पाउण्डेड ऐनुअल ग्रोथ रेट (CAGR) एस सी छात्रों का 3.2 प्रतिशत और छात्राओं का 7.6 प्रतिशत हुआ, मगर एस. टी. छात्रों का 14.9 प्रतिशत और एस.टी. छात्राओं का 19.1 प्रतिशत CAGR रहा। मगर आगे चलकर पढ़ाई छोड़ देने वाले लड़कों और लड़कियों का प्रतिशत नीचे की तालिका दिखाती है।

तालीका 3

प्राइमरी अपर प्राइमरी सेकेन्ड्री और हायर सेकेन्ड्री स्तर तक पढ़ाई छोड़ देने वाले (Dropout)छात्र–छात्राओं का

वर्ष		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
प्राइमरी	लड़की	35.3	30.7	26.3	23.6	24.0
	लड़का	42.1	38.0	36.0	33.6	29.2
	संयुक्त	39.3	34.8	31.7	29.1	26.8
अपर प्राइमरी	लड़की	51.3	51.1	38.7	34.7	38.9
	लड़का	57.9	58.6	52.4	52.4	49.9
	संयुक्त	55.1	55.5	46.7	46.5	45.1
सेकन्ड्री	लड़की	58.9	62.7	59.5	57.6	53.9
	लड़का	64.4	66.9	65.2	64.7	61.2
	संयुक्त	62.2	65.2	62.8	61.8	58.2
हायर सेकन्ड्री	लड़की	69.4	64.7	NA	NA	NA
	लड़का	72.9	68.4	NA	NA	NA
	संयुक्त	71.6	67.0	NA	NA	NA

प्रतिशत

श्रोतः बिहार सरकार शिक्षा विभाग

उपर की तालिका दिखाई है कि वैश्विकरण में शिक्षा के निजीकरण और गरीबी का संयुक्त प्रभाव महिला शिक्षा के मार्ग में वाधा बना हुआ है। बिहार में शिक्षा की कमी का कारण, लोगों की गरीबी और अन्य आर्थिक कारक सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, स्कूलों का वातावरण और बाहरी संरचना का अभाव आदि प्रमुख कारण है। तालिका बता रही है कि ज्यों–ज्यों उपर के वर्गों में छात्र–छात्राओं के नामांकन का मसला आता है पढ़ाई छोड़ने वालों का प्रतिशत बढ़ता जाता हैं। उच्च वर्गों में शिक्षा पर खर्च भी बढ़ता जाता है। शिक्षा के उच्च वर्ग में जाते–जाते क्रमिक गति से ड्रप आउट का प्रतिशत भी बढ़ता गया है।

खासकर ग्रामीण गरीब महिलाओं का सशक्तिकरण मांग करता है कि इनकी गरीबी को मिटाई जाय, इन्हें शिक्षित किया जाए और इन्हें स्वावलम्बी बनाया जाए।

बिहार में महिला सशक्तिकरण के लिए जरूरी स्वास्थ्य सेवा की बड़ी कमी इसमें आड़े आ रही है। इतना ही नहीं नव उदारवादी नीति के अन्दर बाजारवादी अर्थ व्यवस्था ने स्वास्थ्य को सेवा की जगह एक ऐसा माल बना दिया है जिससे मुनाफा कमाया जा सके। उच्च तकनीक वाले स्वास्थ्य संस्थाओं की वाढ़ कुकुरमुत्ते की तरह हो रही है मगर उनमें होने वाले इलाज पर आ रहे खर्चे का बोझ गरीब आवादी की पहुंच से बाहर है। अगर एक अति आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा–संस्थागत डिलवरी का उदाहरण लिया जाए तब जो परिणाम सामने आता है वह काफी हतोत्साहित करने वाला है। जनानी सुरक्षा योजना (जे. एस. वाई) जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन या नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा संचालित है और खास कर बिहार, यू.पी., मध्य प्रदेश आदि जैसे कमजोर राज्यों में संस्थागत डिलवरी को प्रोत्साहित करता है उसके प्रयासों का परिणाम बिहार में जो हुआ है उसे नीचे की तालीका दर्शा रही हैः–

तालिका 4

संस्थागत डिलेवरी इन बिहार (जनानी सुरक्षा योजना के अन्दर)

संस्थागत डिलेवरी लाख में	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	सी.ए.जी.आर.
	12.46	13.85	14.07	14.69	14.47	14.98	15.34	3.4

सी.ए.जी.आर = (CAGR) Compounded Annual Growth Rate

श्रोत% स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार सरकार

उपर की तालिका यह स्पष्ट नही करती कि जिन महिलाओं का संस्थागत डेलिवरी हुआ वे किस आर्थिक समूह की महिलाएँ थी–धनीवर्ग या गरीब वर्ग की। अनुभव बताता है कि ग्रामीण गरीब महिलाओं का डेलिवरी अभी भी परम्परागत ढंग से ही होता है गावों के हेल्थ सेन्टर पर किसी भी तरह की सुविधा का प्रबंध नहीं है–यहां तक कि वहां न डॉक्टर जाता है न नर्स और ज्यादार केन्द्र बंद रहते हैं।

दूसरी बात, नव उदारवादी बाजार व्यवस्था के वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सरकार जिस तरह से श्रम कानूनों में लचीलापन लाने के नाम पर बदलाव कर रही है उससे नौकरी पेशे में लगी महिलाओं की आर्थिक स्थिति बुरी तरह कुप्रभावित हो रही है। पेंशन बंद कर देना, तमाम समाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाले श्रम कानूनों को बदल कर सामाजिक सुरक्षा को समाप्त करने की तरफ ले जाना, ठेका मजदूरी अधिनियम को बदल कर प्रबंधन को

अधिकार दे देना कि वे जब चाहे मजदूर को रखे, जब चाहे तब काम से हटा दें आदि के अलावा महिलाओं से रात्रि पाली में काम लेना आदि ऐसे प्रावधान है जो महिला सशक्तिकरण को वाधित करते है, महिलाओं की आर्थिक स्थिति को कमजोर करते है तथा मजदूर संगठनों के साथ संवद्ध महिला कामगारों के निर्णय लेने की क्षमता को नष्ट करते हैं। ऐसी हालत में महिला सशक्तिकरण के प्रयास वेमानी बन जाते है।

महिला सशक्तिकरण के कार्य क्रम :

महिला स्वास्थ्य को सुधारने के लिए सरकार द्वारा कई कार्य क्रम भी चलाए जा रहे हैं जिनमें राजीव गांधी स्कीम फॉर इम्पावरमेंट ऑफ इडोलेसेंन्ट गर्ल्स 14 से 18 वर्ष की आयु वाली लड़कियों को प्रतिवर्ष 300 दिनों तक अतिरिक्त पोशक आहार उपलब्ध कराने की व्यवस्था है[3]। इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना है। फिर भी 30 प्रतिशत महिलाएं बिहार में कम वजन की या लो बड़ी मास इन्डेम्स और 60.3 प्रतिशत रक्त की कमी (एनेमिक) है[4]। इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल आपूर्ति कार्य क्रम आदि चलाए जा रहे हैं। फिर भी महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम की प्रगति अपेक्षित परिणाम को नहीं दे पाती। इसका प्रमुख कारण है कि सरकार सहायता का क्षेत्र सीमित रहता है। और महिलाओं की आर्थिक स्थिति कमजोर रहती हैं इस कारण महिलाए अपने बलबूते पर उन सब चीजों को हासिल नही कर पाती जो स्वस्थ्य जीवन के लिए जरूरी है। खास कर ग्रामीण गरीब महिलाओं के साथ यही होता है और सरकार उनकी आर्थिक दशा को सुधारने संबंधी कोई प्रभावकारी योजना नहीं चला पाती–गरीबी का अभिशाप महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है और नवउदारवाद की बाजार व्यवस्था वाली विकास पद्धती आर्थिक क्षेत्र में सरकार के हस्ताक्षेप को प्रतिबंधित करती जा रही है। यही समझा जाता है कि जी.डी.पी का विकास स्वतः गरीबी मिटा देगा मगर रोजगार विहीन विकास गरीबी बढ़ा रहा है।

पिछड़ी अर्थव्यवस्था में आधुनिक सामाजिक प्रतिमानों का प्रभावकारी हस्ताक्षेप नहीं हो पाता। बिहार में जिस तरह की उत्पादन प्रणाली मौजूद है वह पिछड़ी कृषि व्यवस्था की उत्पादन प्रणाली है और इसके आधर पर बना बिहार का सामाजिक संरचना भी अर्थ समिती उत्पादन प्रणाली वाली है। इस तरह के उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं के साथ भेद भाव की परम्परा चली आती है। बिहार में कृषि उत्पादन का मूल श्रोत है मगर पिछड़ी अवस्था में है। इसका उत्पादन संबंध नीजी स्वामित्व के ऐसे प्रबंधन का है जिसमें मजबूत सामंती अवशेष विद्यमान है। भूमि सुधर कानूनों को लागू नहीं किया गया है। जातीय भेदभाव मजबूती के साथ कार्यरत है। ऐसी व्यवस्था में परम्परागत पितृ सत्तात्मक परिवारों के आधर पर समाज का निर्माण है जिसमें महिलाओं के साथ बचपन से उनके मृत्यु पर्यन्त भेद भाव की परम्परा है–कम मजदूरी, छुआ–छूत, बाल विवाह खान–पान में भेदभाव पारिवारिक कामों में उनके द्वारा निर्णय लेने की परम्परा का अभाव उनके द्वारा किए गए पारिवारीक कामों की कोई स्वीकृति नहीं, पर्दा प्रथा आदि महिलाओं के व्यक्तित्व के सर्वागीण विकास को रोक देते हैं। धर्मिक मान्यताओं में भी महिलाएँ मर्दों की तुलना में कमजोर स्थिति में रख दी गई है। सम्पति में उनको कानूनी बराबरी दे दी गई है मगर इसका कार्यान्वयन शायद ही होता है। इस तरह के अनेकों कारक महिला सशक्तिकरण को रोकते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक अधिकारों आदि के अभाव के साथ–साथ सामाजिक कारण भी महिलाओं की तरक्की को बाधित कर रहे हैं।

सरकारी प्रयासः महिलाओं की स्थिति को ठीक करने के लिए बिहार सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को दो विस्तृत श्रेणियों में रखा जा सकता है– पहली श्रेणी में कन्या सुरक्षा योजना जिसका लक्ष्य है लड़कियों को जन्म के पूर्व ही उनको मार डालने की क्रिया को बंद करना और दुसरी श्रेणी है आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना– इसमें लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेन्शन स्कीम, कन्या विवाह योजना आदि है।

मुखिया मंत्री नारी शक्ति योजना को वीमेन डेवेलप्मेंट काउन्सिल ने शुरू किया है जिसमें कार्यकारी महिलाओं का होस्टल नौकरी मुखी कौशल प्रशिक्षण आदि है।

सात निश्चय कार्यक्रम के अन्दर आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार के अन्दर राज्य सरकार की नौकरीयों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान के जनवरी 2016 से लागू किया गया है।

'पंचायती राज्य संस्थाओं को जिला स्तर पर महिलाओं से संबंधित ऐक्टों के सम्बंध में प्रशिक्षण देने और दक्षता निर्माण सम्बन्धी उपकरणों संसाधनों को उपलब्ध कराने का काम किया जाता है।

सितम्बर 2016 तक 5.57लाख स्वयं सहायता समूह का निर्माण किया जा चुका है और 2.21लाख स्वयं सहायता समूहों को वैंकों से सम्बंध किया गया है।

आजीविका स्कील और महिला किसान सशक्तिकरण प्रोजेक्ट को नेशनलरूरल लिवलीहुड मीसन को पुनर्गठित कर लागू किया जा रहा है।

बिहार सशस्त्र पुलिस में एक महिला वटालियन का गठन करने का निर्णय बिहार सरकार ने लिया है।

सामाजिक सशक्तिकरण के लिए कदम :

महिलाओं से सम्बन्धित ऐक्टों पर पारा लिगल भोलंट्रिअर ट्रेनिंग को सभी जिलों में गुरू किया गया है।

पीड़ित महिलाओं को जल्दी सहायता देने के लिए समुदायिक स्तर पर रेफेरल यूनिट को स्थापित किया जा रहा है।

बिहार के 38 जिलों में महिला हेल्प लाइन की स्थापना की गई है जो मुखिया मंत्री शक्ति योजना के प्रोग्राम के अन्दर है और जिसका लक्ष्य है मनोवैज्ञानिक और कानूनी मदद घरेलू उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को देना।

इसके अलावा प्रत्येक जिला में एक इन्डस्ट्रीयल ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट की स्थापना, इन्डट्रीयल हाउसों और समुद्र पार प्लेसमेंट ऐजेन्सियों को बिहार में ट्रेनिंग सेन्टर की स्थापना करने के लिए आमंत्रित किया गया है।

इसके अलावा परित्यक्त बच्चों को बसाने के लिए योजना यादि को लागू किया जा रहा है।

निष्कर्ष :

उपर वर्णित अनेको कार्यक्रमों को सरकार चला रही है, मगर महिला उत्यान/सशक्तिकरण की स्थिति गम्भीर से गम्भीरतर होती जा रही है। इसका मूल कारण उस दार्शनिकता में निहित है कि सरकार जैसा सोचती है असके अनुसार बनी योजनाएँ समस्या का हल निकाल सकती है या जो कारक और भौतिक स्थितियाँ समस्या को जन्म दे रही है, बढ़ाती है और आगे बढ़ाती है उनके कारणों को समाप्त करने के उपायो के सदंर्भ में सरकार की सोच बननी चाहिए। यह एक दार्शनिक प्रश्न है जो इस दार्शनिक प्रश्न को खड़ा करता है कि व्यक्ति की सोच के अनुसार बाहरी संरचना निर्मित होगी या आर्थिक उत्पादन के सम्बंध के अनुसार बाहरी संरचना स्वरूप ग्रहण करेगी। वास्तव में आधार और संरचना परस्पर रूप से एक दूसरे के साथ सम्बद्ध हैं और संरचना आधार के अनुरूप ही स्तित्व ग्रहण करता है, अन्यथा नहीं। नवउदारवादी बाजारवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसे आधार का निर्माण करता है जो थैचरवाद और रीगनोमिक्स के मेथोडोलोजीकल व्यक्तिवाद (Methodological Individualism)के सिद्धांत है जिसमें व्यक्ति ही सब कुछ है समाज कहीं नहीं इस सिद्धांत पर आधारित उत्पादन पद्धति में व्यक्तिगत मुनाफा सर्वोपरि है और हर चीज को माल बना मुनापफा अर्जित करने का प्रयास होता है, सेवा क्षेत्र तक की महिला कल्याण और खास कर गरीब ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण वाजारवाद के साथ अंतर्विरोध रखता है क्योंकि वाजार में गरीब लोगों का कोई महत्व नहीं है क्योंकि उनकी क्रय शक्ति अतिशय कम या न के बराबर है। शिक्षा स्वास्थ्य पोषक आहार बीमारी का इलाज आदि गरीब महिलाओं की पहुंच से बाहर चली गई है और सरकारी स्कीमें इस कमी को पुरा करने में सक्षम नहीं है। जब तक सार्वजनिक सेवा क्षेत्र को वाजारवादी अर्थव्यवस्था से मुक्त नही किया जाता तब तक महिला सशक्तिकरण एक कल्पना ही रहेगा।

संदर्भ

1. यूए.एन. कमीशन आन स्टेट्स ऑफ वीमेन
2. इकोनोमिक सर्वे 2016-17 बिहार सरकार पृ. 203-04
3. पूर्ण विवरण के लिए देखें राजीव गाँधे स्कीम फार इम्पावरेमेंट ऑफ एडोलेसेन्ट गर्ल्स
4. मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एण्ड चाइल्ड डेवेलपमेंट, भारत सरकार की रिपोर्ट